कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र-1 स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, अरेराज
जिला– पूर्वी चम्पारण

महाशय,

नगर पंचायत, अरेराज के वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 51 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिलेखीय साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

ह0
(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14570 / 129 दिनांक– 28.7.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

126

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–51/16–17

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर पंचायत, अरेराज
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2012–13 से 2014–15
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–i में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपलब्धापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट– ii में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	11.3.2016 से 17.3.2016
5	**प्रशासन**	
	मुख्य पार्षद	कार्य अवधि
	श्रीमती पूर्णिमा देवी	1.4.12 से 31.3.2015
	उप मुख्य पार्षद	कार्य अवधि
	श्रीमती कमरून नेसा	1.4.12 से 31.3.2015
	कार्यपालक पदाधिकारी	
	श्री महेन्द्र कुमार भारती	1.4.2012 से 30.8.2013
	श्री विनोद कुमार	30.8.2013 से 23.10.2013
	श्री अमित कुमार	23.10.2013 से 31.3.2015
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री रणजीत कुमार वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री रवि शंकर प्रसाद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	———
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपलब्धापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं का निरसारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निरसारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हाँ, दिनांक 17.3.2016 को

125

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र
(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, अरेराज द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार कार्यालय इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	शून्य
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	4196934
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	7153064

(विवरण परिशिष्ट–X पर)

12. बजट प्राक्कलन नहीं बनाया जाना

नगर पंचायत अरेराज द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलना पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगरपालिका बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा देगी। परन्तु नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2012–13,13–14 एवं 14–15 का बजट बनाया ही नही गया।

जबाव में बताया गया कि नियमित लेखापाल नहीं रहने के कारण बजट नहीं बनाया जा सका।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बजट बनाना नगर पंचायत की प्राथमिक जिम्मेवारी थी एवं नगर पंचायत का वार्ड भी व्यय बगैर बजट प्रावधान के किया जाना अनुचित था। नगर पंचायत द्वारा संविदा पर कार्यालय कार्यों के लिए दो कर्मियों को रखा गया है जिनसे बजट बनवाया जा सकता था। अतः सुझाव दिया जाता है कि संविदा पर कार्यरत कर्मियों से बजट बनवाया जाय।

13. नगर पंचायत, अरेराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की आय–व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी :–

क्रम संख्या		2012–13	2013–14	2014–15
1	प्रारम्भिक शेष	20617580	24383871	40312709
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति			
क	टनुदान	12147678	30470671	37183283
ख	स्वयं स्त्रोत	1052750	1207250	1159915
ग	ब्याज	369794	320925	170980
घ	अन्य	--	143350	494829
3	वर्ष के दौरान प्राप्ति	13570222	32142096	39009007
4	कुल प्राप्ति	34187802	56525967	79321716
5.	कुल व्यय			
क	स्थापना	1763875	2113102	967896
ख	योजना–स्वयं स्त्रोत से	--	62167	--
ग	योजना –अनुदान से	6506961	9026129	21219087
घ	अन्य	1533095	5011870	12934636
6	कुल व्यय	9803931	16213258	35121619
7	अंतशेष	24383871	40312709	44200097

नगर पंचायत, अरेराज द्वारा कोषागार रोकड़बही सहित आठ सहायकबही का संधारण किया गया। यह रोकड़ बही मद–वार न करके बैंक खाता के अनुसार किया गया। एक ही खाते में एक से अधिक अनुदान–मद की राशि रखी गयी जबकि सरकार द्वारा समय– समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मद के अलग– अलग रोकड़बही एवं बैंक खाते का संचालन किया जाना था। इसके कारण निधि के विचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जबाव में बताया गया कि रोकड़ बही के गलत संधारण की दिशा में कार्यवाही की गयी है। जल्द ही सारी कमियों को दूर कर लिया जाएगा।

अतः रोकड़बही का नियमानुकूल संधारण किया जाय।

14. रोकड़बही एवं बैंक खातों के अंतशेष का विवरण

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत रोकड़बही एवं बैंक पासबुक के अनुसार 31.3.2015 को रोकड़बही का कुल अंतशेष ₹43824441/– था जबकि बैंक पासबुक का अंतशेष ₹51056626/– था। इस प्रकार दोनों के अंतशेष में ₹7232185/– का अंतर था। (विवरण परिशिष्ट–iii पर)।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 13(1) के अनुसार बैंक बही का संधारण लेखापाल को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–3 में करना है जिसमें प्रत्येक बैंक या ट्रेजरी खातों में जमा एवं निकासी से संबंधित सारी प्रविष्टियॉ की जायेगी। इसके अतिरिक्त 13(5) में बैंक या कोषागार के खातों में वास्तविक अंतशेष का मिलान समय– समय पर तथा कम से कम महीने में एक बार बैंक बही के साथ करने का प्रावधान है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा किसी भी माह के अंत में अथवा किसी भी वर्ष के अंत में बैंक समाधान विवरणी नहीं तैयार की गयी।

जंबाव में बताया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करायी जाएगी और त्रुटियों को सुधार कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार कर महालेखाकार कार्यालय में शीघ्र भेजा जाय।

15. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम--120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71 में तैयार करना है तथा नियम--122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–74 में संधारित करना है। परन्तु नगर पंचायत अरेराज द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 का न तो वित्तीय विवरण बनाया गया और न ही वार्षिक लेखा का संधारण किया गया।

जबाव में बताया गया कि नियमित लेखापाल नहीं रहने के कारण वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया। उपयुक्त प्रपत्र में वित्तीय विवरण एवं वार्षिक लेखा तैयार किया जाए।

भाग --II क

1. एस जे एस आर वाई अंतर्गत प्रशिक्षण संदिग्ध, अनियमित व्यय : ₹30.00 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) 1.12.1997 को प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना का मुख्य उददेश्य शहरी बेरोजगार युवकों को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अथवा स्वरोजगार से जोड़ना था। नगर पंचायत अरेराज की एस जे एस आर वाई की संचिका की नमूना जांच में पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–02/11--927/न०वि०एवं आ०वि० दिनांक 6.9.2012 के आलोक में चार गैर सरकारी संस्था –(i)ग्राम्य विकास परिषद, जमालपुर पो० चम्पारण, (ii) इकार्ड, संग्रामपुर जिला सारण (iii) सर्वप्रिया खादी ग्रामोद्योग समिति, जमालपुर, खगड़िया एवं (iv) जन कल्याण समिति खास महल पटना का चयन कुल 660 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाने हेतु किया गया। इन चारों संस्थाओं के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत अरेराज का एकरारनामा दिनांक 20.10. 2012 को किया गया। चारों संस्थाओं को कुल ₹3000000 का भुगतान किया जा चुका था परन्तु किसी भी संस्था द्वारा प्रशिक्षण सरकार के दिशानिर्देश का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया गया। संस्थाओं को किए गए भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं0	संस्था का नाम	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण दर	अग्रिम का भुगतान रकम	चेक संख्या/तिथि
1	ग्राम्य विकास परिषद	सुरक्षा गार्ड	25	5000	182500	40724/7.5.2013
		वेल्डर	50	7000		
2	इकार्ड	फैशन डिजायनिंग	320	7000	979000 1001200	40707/22.3.13, 40733/22.6.13 एवं
		ब्यूटिशियन	50	6000	315300	40734, 3.7.13
3	सर्वप्रिया खादी ग्रामोद्योग समिति	कम्प्यूटर	100	7000	362000	40708/21.3.2013
		ड्राइविंग	40	6000		
4	जन कल्याण समिति	ब्यूटिशियन	50	6000	160000	40710/12.4.2013
		स्पोकेन इंग्लिश	25	4000		
					3000000	

उपर्युक्त संस्स्थाओं को अग्रिम का भुगतान उनके आवेदन के आधार पर दिया गया। संस्थाओं से कोई विपत्र नही लिया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) नगर विकास एवं आवास ,विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 9/स्वर्ण--2/11–927 दिनांक–6.9.2012 द्वारा निर्देश दिया गया था कि प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व इन संस्थाओं के साथ एकरारनामा करने के पहले प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थाओं के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं यथा संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव, संस्था के पास अनुभवी शिक्षक की उपलब्धता, क्लास रूम, प्रयोगशाला व आधारभूत सुविधा, प्रशिक्षण स्थल, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्यूटर की उपलब्धता, प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता आदि की जॉच कार्यालय द्वारा कर ली जाय; परन्तु नगर पंचायत के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी जॉच नहीं की गयी। नगर पंचायत द्वारा प्रशिक्षण लागत के संबंध में संस्था से कोई बात नहीं की गयी और सरकार द्वारा तय किये गए दर की उच्चतम सीमा की राशि पर प्रशिक्षण देने की स्वीकृति दी गयी जबकि इसे न्यूनतम सीमा अथवा इसके बीच की राशि पर भी प्रशिक्षण कार्य सौंपा जा सकता था।

(ii) नगर पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं संस्था द्वारा जिन जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया उनका नाम, पता एव बी पी एल न0 के साथ सूची एवं आवेदन पत्र लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर पंचायत के पास इस तरह की कोई सूची उपलब्ध नहीं थी। संस्था द्वारा

(121)

प्रमाण पत्र वितरित किये जाने के समय अथवा प्रशिक्षण दिये जाने की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों का फोटोग्राफ नहीं लिया गया। नगर पचायत द्वारा प्रशिक्षण के दौरान कभी भी संस्था का औचक निरीक्षण नहीं किया गया। संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र दिया भी गया अथवा नहीं इससे नगर पंचायत अनभिज्ञ था। टूल किट वितरित किये जाने का कोई प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण--2/11--927 दिनांक 6.9.2012 के अनुसार संस्था द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराना था अथवा उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने हेतु उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक को अग्रेषित किया जाना था परन्तु संस्था द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। संस्थाओं को टूल किट खरीदने, प्रशिक्षकों को किए गए भुगतान एवं अन्य व्यय के संबंध में कोई कैशमेमो/अभिश्रव की मांग नहीं की गयी बल्कि उनके अग्रिम हेतु आवेदन के आधार पर ही कुल ₹3000000 का भुगतान कर दिया गया। नगर पंचायत द्वारा प्रशिक्षण लागत के संबंध में संस्था से कोई बात नहीं की और सरकार द्वारा तय किये गए दर की उच्चतम सीमा की राशि पर प्रशिक्षण देने की स्वीकृति दी गयी जबकि इसे न्यूनतम सीमा अथवा इसके बीच की राशि पर भी प्रशिक्षण कार्य सौंपा जा सकता था। नगर पचांयत द्वारा संस्थाओं की बकाया राशि के भुगतान हेतु नगर पंचायत के पत्रांक 119 दिनांक 12.3.2016 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को ₹3335300/– के आवंटन हेतु पत्र लिखा गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रशिक्षण का कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया :

संस्थाओं की जॉच नही करायी जा सकी। सूची में शामिल संस्थाओं से एकरारनामा कराकर प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया था। अभ्यर्थियों का आवेदन एवं सूची उपलब्ध नहीं हैं। संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की सूची नगर पंचायत को नहीं दी गयी। प्रशिक्षकों की सूची उनकी योग्यता, बैच साइज एवं प्रशिक्षण का schedule संस्था द्वारा नहीं दिया गया। फोटोग्राफ के संबंध में पत्राचार किया जाएगा। टूल किट का रसीद एवं वितरण का फोटोग्राफ संस्था द्वारा नहीं दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देने की कोई सूचना कार्यालय में नहीं हैं। प्रशिक्षणार्थियों को स्व रोजगार करने हेतु बैंक से ऋण लेने एवं उन्हें रोजगार मुहैया कराने के संबंध में संस्था से पत्राचार किया जाएगा। संस्था से आवश्यक कैशमेमो/अभिश्रव की मांग की जाएगी। संस्था को अब तक उनके आवेदन के आधार पर अग्रिम दिया गया है। संचिका में की गयी टिप्पणी के आलोक में सरकार से ₹3335300 की मांग की गयी है। फिर भी इस विन्दु पर जांच कर विभाग को पत्र लिखा जाएगा। प्रशिक्षण लागत की राशि के संबंध में जॉच कर ही अंतिम भुगतान किया जाएगा। किसी सक्षम प्राधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है।

नगर पंचायत द्वारा दिए गए उत्तर एवं संचिका में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा प्रशिक्षण का कार्य संदेहास्पद था। संस्था एवं नगर पंचायत, अरेराज दोनों ही द्वारा सरकारी दिशा निर्देश एवं वित्तीय नियमावली का घोर उल्लंघन किया गया। भुगतान की गयी राशि एवं दिए जा रहे प्रशिक्षण

पर नगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार की निगरानी नहीं रखी गयी। अतः संस्था/जिम्मेवार व्यक्ति से ₹3000000/--वसूल की जाय।

भाग –II ख

2. **मोबाइल टावर पर पंजीयन शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं– ₹5.68 लाख**

बिहार संचार मिनार एवं सम्बन्धित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार नगर पंचायत के अंतर्गत अधिष्ठापित किये जाने वाले प्रत्येक टावर पर ₹ 30000/– पंजीयन शुल्क एवं ₹8000/– नवीकरण शुल्क (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए) प्रति टावर की दर से लिए जाने का प्रावधान है। उसके अतिरिक्त एक हीं टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत पंजीयन शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क वसूलनीय है। साथ हीं, यह भी प्रावधान है कि वार्षिक नवीकरण शुल्क यदि देय माह (अप्रैल) में अग्रिम नहीं दिया जाता है तो बिना पंजीयन एवं नवीकरण शुल्क भुगतान किये संचार टावर स्थापित किया जाना अवैध होगा। इस स्थिति में नगर पंचायत् को मोबाईल टॉवर सील करने का अधिकार प्रदत्त है।

नगर पंचायत, अरेराज द्वारा मोबाइल टावर से संबंधित किसी संचिका एवं पंजी का संधारण नहीं किया गया है। फिर भी नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए मोबाइल टावर की विवरणी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत 7 मोबाइल कम्पनियों की 8 टावर अवस्थित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	टावर कम्पनी का नाम	टावर कम्पनी का नाम	स्थापना वर्ष	बकाया राशि
1	रिलायंस	1	2008–09	102000
2	एयरसेल	1	2008–09	78000
3	एयरटेल	2	2005 एवं 2011	36000
4	आइडिया	1	2009–10	70000
5	बीएसएनएल	1	2009–10	118000
6	वोडाफोन	1	2010–11	102000
7	टाटा इंडिकोम	1	2005–06	62000
	कुल	8		568000

मोबाइल टावर कम्पनियों से पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की वसूली हेतु मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया हैं। उपलब्ध कराये गए विवरणी के अनुसार केवल एयरटेल कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 60000 जमा किया गया। साथ ही इसके द्वारा नवीकरण शुल्क के रूप में रू 60000 जमा किया गया। विवरणी के अनुसार सभी 7 कम्पनियों के यहाँ दिनांक 31.03.2015 तक कुल ₹568000/ बकाया थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि मोबाइल कम्पनियों से बकाया राशि ₹568000 की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

अतः₹568000 वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा करवायी जाय।

119

0.92

3. सैरातों की बंदोवस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं होने से राजस्व की हानि ₹1.28 लाख

इण्डियन निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17(प) (डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोवस्ती का निबंधन अनिवार्य है। इसी अधिनियम के अनुसूची 1(ब) के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण बंदोबस्ती की राशि के तीन प्रतिशत मूल्य के मुद्राक पेपर पर होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन पत्रांक 549 दिनांक 15.3.2005) के द्वारा सभी विभागों को पूर्व में ही सूचित किया गया है।

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए की गयी सैरातो की बंदोवस्ती से संबंधित संचिका लेखापरीक्षा में बार बार अग्रह करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गयी। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार बस स्टैण्ड की सैरात की बंदोवस्ती में न तो स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा की गयी न ही निबंधन शुल्क की राशि ली गयी जिसके कारण निबंधन शुल्क से मिलने वाली राशि से नगर पंचायत वंचित रहा। बंदोवस्ती का विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम सं0	सैरात का नाम	वर्ष	बंदोवस्ती की राशि (₹ में)	3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की राशि (₹ में)
1	बस स्टैण्ड	2012–13	925000	27750 ✓
2	बस स्टैण्ड	2013–14	1052750	31583 ✓
3	बस स्टैण्ड	2014–15	1088000	32550 ✓
				91883 ✓

जबाव में बताया गया कि संबंधित बंदोवस्तधारी से मुद्रांक शुल्क की कुल राशि ₹91883/– के वसूली की कार्रवाई की जायगी।

अतः बंदोवस्तधारी अथवा संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से ₹91883/– की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा करवायी जाय।

4. हाई मास्ट लाइट के अधिष्ठापन में अनियमित भुगतान : ₹17.00 लाख

हाईमास्ट लाइट के अधिष्ठापन से संबंधित संचिका की नमूना जांच में पाया गया कि श्रावणी मेला, 2014 को ध्यान में रखते हुए अरेराज मुख्य चौक, अरेराज–बेतिया रोड हरदिया चौक एवं स्टेट बैंक के नजदीक हाईमास्ट लाइट लगाने का निर्णय दिनांक 14.7.2014 को हुई नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक में लिया गया। निर्णय के आलोक में नगर पंचायत द्वारा कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गयी और नगर पंचायत के पत्रांक 154 दिनांक 14.7.2014 द्वारा पाण्डेय इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड सोलर सिस्टम, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को कार्यादेश दिया गया। आपूर्तिकर्ता को वैट एवं आयकर की राशि ₹79815 की कटौती के उपरांत

कुल ₹1195185 का भुगतान किया गया। इस प्रकार योजना पर कुल ₹1195185 का व्यय हुआ। विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं0	चेक संख्या	दिनांक	भुगतान की गयी राशि	आयकर	वैट	अभिपुष्टि
1	720005	19.7.14	300000			प्रथम अग्रिम
2	720009	4.9.14	300000			द्वितीय अग्रिम
3	720016	16.9.14	595185	28815	51000	अंतिम भुगतान
		कुल	1195185	28815	51000	

इसके अलावे नगर पंचायत अरेराज क्षेत्रांतर्गत हाईस्कूल गेट के पास 01 अदद हाई मास्ट लगाने हेतु नगर पंचायत के पत्रांक 23(क) दिनांक 3.2.2015 द्वारा पाण्डेय इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड सोलर सिस्टम, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को कार्यादेश दिया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांक 20.2.2015 को ₹425000 का विपत्र प्रस्तुत किया गया। आपूर्तिकर्ता को वैट एवं आयकर के मद में ₹21250 एवं 9605 की कटौती कर चेक संख्या 96675 दिनांक 26.3.2015 द्वारा ₹394145 का भुगतान किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) श्रावणी मेला के अवसर पर लगाये जाने वाले तीन हाईमास्ट लाइट के कार्यादेश के अनुसार 30 दिन के अंदर हाईमास्ट लाइट का अधिष्ठापन करना था परन्तु आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांक 10.8.2014 को एक आवेदन दिया गया जिसमें सभी स्थलों पर फाउण्डेशन कराकर सभी सामग्री, पोल, स्ट्रक्चर, नट वोल्ट फिटिंग उपलब्ध कराने की बात कह कर 500000 की द्वितीय अग्रिम की मांग की गयी थी जबकि दो दिन बाद ही आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांक 12.8.2014 को 60 दिन का समय विस्तार मांगा गया था और मात्र 32 दिन बाद ही दिनांक 15.9.2014 को अंतिम विपत्र प्रस्तुत कर दिया गया जिसका भुगतान नगर पंचायत द्वारा अगले ही दिन दिनांक 16.9.2014 को कर दिया गया। एकरारनामा में अग्रिम देने की शर्त नहीं थी फिर भी आपूर्तिकर्ता को ₹600000 का अग्रिम दिया गया।

(ii) सभी चार हाईमास्ट लाइट के विपत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जांच भी नहीं कराया गया एवं प्राप्त सामग्री की भंडार पंजी में प्रविष्ट भी नहीं किया गया। कार्यादेश एवं एकरारनामा में हाइमास्ट लाईट की विशिष्टता का उल्लेख नहीं किया गया था। साथ ही आपूर्तिकर्ता के विपत्र में भी विशिष्टता का उल्लेख नहीं किया गया। किस विशिष्टता का हाइमास्ट लाइट लगाया गया एवं वह भलीभांति कार्य कर रहा था अथवा नहीं इसका प्रमाण पत्र किसी तकनीकी अधिकारी से नहीं लिया गया। वारंटी पेपर भी नहीं लिया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि समय के अभाव के कारण निविदा आमंत्रित नहीं की गयी। तकनीकी अधिकारी का पद नहीं होने के कारण हाईमास्ट लाईट के विशिष्टता की जांच नहीं की जा सकी। वारंटी पेपर ले लिया जाएगा। जानकारी के अभाव में विपत्र का पास नहीं कराया जा सका

और भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं की जा सकी एवं अधिष्ठापन से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लिया जा सका। अन्य विन्दुओं की जांच की जाएगी।

निविदा आमंत्रित किए बगैर हाईमास्ट लाइट का क्रय किया जाना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। बिना किसी जांच के आपूर्तिकर्ता को अंतिम भुगतान किये जाने की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय और जांच प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजी जाय। तब तक योजना पर किये गए व्यय की राशि ₹1700000 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

5. फॉगिंग मशीन का उपरोक्त संदेहास्पद, व्यय : ₹5.94 लाख

दिनांक 19.11.11 को नगर पंचायत की बैठक के प्रस्ताव सं0 4 पर लिए गए निर्णय के आलोक में एक फॉगिंग मशीन (टैम्पू पर अवस्थित) एवं एक फॉगिंग मशीन पोरटेबल क्रय हेतु हिन्दुस्तान टाइम्स में दि0 10.01.12 को निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। दिनांक 16.01.12 को 4 निविदाएं प्राप्त हुई। श्री राजू कुमार, जय मातादी इन्टरप्राईजेज, मोतीहारी का चयन न्यूनतम दर ₹644400 एवं अन्य नियम एवं शर्तों के आधार पर किया गया।

नगर पंचायत अरेराज के एजांक दि0 09.04.12 के आपूर्ति आदेश में फॉगिंग मशीन की आपूर्ति आदेश तिथि के 30 दिनों के अंदर करने की शर्त निहित थी परन्तु इस फॉगिंग मशीन (02) की आपूर्ति निवेदक द्वारा दि. 26.08.13 को 16 महीने बाद नगर पंचायत को की गई।

आपूर्तिकर्ता को कुल ₹604061 का भुगतान किया गया जो निम्न प्रकार है :

क्रम सं0	चेक संख्या / तिथि	राशि	अभियुक्ति
1	---/13.4.12	374960	प्रथम अग्रिम
2	06578 / 28.8.13	229101	अंतिम भुगतान
		604061	

लेखापरीक्षा टिप्पणी :–

(1) दिनांक 17.01.12 को तैयार की गई तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि क्रम सं. 03 (आर.के. इंटरप्राइजेज) एवं क्रम सं0–04 (जय माता दी इंटरप्राइजेज) के निविदादाता में अंकित दर का अंतर सिर्फ ₹1450 का था। साथ ही चयनित निविदादाता के अंकित दर में पुर्नसुधार कर ₹588900 को ₹586900 बनाया गया था। जय माता दी इन्टरप्राईजेज द्वारा जो कोटेशन संलग्न किया गया था उसमें दिनांक नहीं दिया गया था। तुलनात्मक विवरणी में क्रम सं. 03 में आर.के. इन्टरप्राइजेज के अनुभव प्रमाण पत्र वाले कॉलम में "नहीं" एवं क्रम सं0 04 के चयनित निवेदक के कॉलम में "हॉ" लिखा हुआ था जबकि आर.के. इंटरप्राइजेज के द्वारा तुलनात्मक इंजिनियरिंग वर्क्स द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संचिका में मौजूद है परन्तु जय माता दी में इस तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जय

माता दी इन्टरप्राइजेज को निविदा देने के लिए सारी नियम व प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं कर उस निवेदक को लाभ पहुँचाने की कोशिश की गई।

(2) जॉच के क्रम में यह भी पाया गया कि फॉगिंग मशीन 02 से संबंधित किसी भी लॉग बुक का संधारण नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात होना मुश्किल था कि उपकरण का इस्तेमाल नगर पंचायत द्वारा हो रहा था अथवा नहीं।

जबाव में बताया गया कि आपत्तियों के विभिन्न विन्दुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अतः जॉच कर जांच रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाय। तब तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गयी राशि ₹594061/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

6. विलम्ब दण्ड की वसूली नहीं होने से नगर पंचायत को राजस्व हानि : ₹4.87 लाख

नगर पंचायत अरेराज द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत योजनाओं का कियान्वयन संवेदक के द्वारा करवाया गया। बी आर जी एफ, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं अन्य मद के अंतर्गत ली गयी योजनाओं में संवेदक एवं नगर पंचायत के बीच किये गए एकरारनामा में संविदा की शर्त–2 के अनुसार संवेदक को निर्धारित तिथि के अंदर कार्य पूरा नहीं करने की स्थिति में सम्पूर्ण कार्य की प्राक्कलित राशि का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब दंड का भुगतान करना था। दण्ड की यह राशि प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 11 योजनाओं के संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि संवेदक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के बाद काफी विलम्ब से कार्य पूरा कराया गया। निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में समय–विस्तार हेतु न तो संवेदक द्वारा कोई आवेदन दिया गया न ही नगर पंचायत द्वारा कोई समय–विस्तार स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में संवेदक को अंतिम भुगतान करने के पहले विलम्ब दण्ड की राशि की कटौती की जानी चाहिए थी परन्तु संवेदक से यह राशि नहीं काटी गयी जिसके कारण नगर पंचायत को ₹487051 की राजस्व हानि हुई। (विवरण परिशिष्ट–iv पर)

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि संबंधित संवेदक से विलम्ब दण्ड की वापसी करने की कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य विंदुओं की जॉच की जाएगी।

अतः संबंधित संवेदक/जिम्मेवार व्यक्ति से ₹487051 की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जाय और महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

7. योजनाओं में वित्तीय अनियमितता

क. बिना मापी पुस्त प्राप्त किये संवेदक को भुगतान : ₹13.41 लाख

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत योजना संख्या 4/12–13, 2/13–14, 5/13–14, 7/13–14, 8/13–14 एवं 11/13–14 की संचिका की नमूना जांच में पाया गया कि इन सभी योजनाओं में संवेदक श्री मनीष कुमार मिश्रा को ₹50000 की अग्रिम बिना कोई विपत्र प्राप्त किये ही दी गयी जो अनियमित था। किसी भी संचिका में मापी पुस्त उपलब्ध नहीं थी। बार– बार आग्रह करने के बावजूद मापीपुस्तिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। नगर पचांयत द्वारा योजना पंजी का भी संधारण नहीं किया गया। इन योजनाओं

(115)

की संचिका में इसका भी उल्लेख नहीं पाया गया कि ये योजनाएँ किन मदों से ली गयी थी। योजना संख्या 5/13–14 में संवेदक को चेक संख्या 065787 दिनांक 28.8.2013 द्वारा ₹50000/– का अग्रिम दिया गया था। उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया गया न ही संचिका में कार्य की स्थिति के संबंध में कोई टिप्पणी की गयी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि आपत्ति के विंदुओं की जॉच की जाएगी। सभी योजनाओं में मापीपुस्त सत्यापित कनीय अभियंता से प्राप्त कर संवेदक को किये गए भुगतान के परिप्रेक्ष्य में जॉच कर जॉच प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को सौंपा जाय। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि 1241332 (1291332– 50000) को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है। (विवरण परिशिष्ट–V)

ख. बिना गुणवत्ता प्रमाण पत्र लिये भुगतानः ₹ 5.69 लाख

योजना सं0 03/2013–14

योजना का नाम– वार्ड संख्या 3 में पशु ठाकुर के दरवाजे से मुज्जफर आलम के दरवाजे तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण

प्राक्कलित राशि– रू 650000/–

कार्यादेश की तिथि – 29/10/13

कार्य पूर्ण होने की तिथि – 28.09.13

कार्य पूर्ण होने की तिथि (मापी पुस्त के अनुसार)– 12.07.13

संवेदक को दी गई राशि – प्रथम अग्रिम – 3,00,000/– (दि0 26.08.13)

प्रथम एकाउन्ट बिल में भुगतान की गयी राशि – 269152 (चेक न0 बीबी 065777 दि.26.08.13)

कुल भुगतान : ₹569152/–

लेखा परीक्षा आपत्तिः–

(1) संवेदक द्वारा रू 300000/– प्रथम अग्रिम हेतु दिये गये आवेदन में कनीय अभियन्ता द्वारा दिनांक 14.07.13 को संपुष्टि किया गया था कि सवेदक द्वारा कार्य स्थल पर सामग्री की आपूर्ति कर दी गई है एवं कार्यालय टिप्पणी में संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु ₹300000 प्रथम अग्रिम की राशि देने की अनुसंशा दि0 26.08.13 को की गई जबकि मापी पुस्त के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 12.07.13 थी। अतः कार्य शुरू करने हेतु प्रथम अग्रिम दिये जाने के पूर्व हीं कनीय अभियन्ता द्वारा मापी कर ली गई जो कार्य पूर्ण होने की तिथि पर संदेह उत्पन्न करता है।

(2) योजना के लिए बनाये गये प्राक्कलन में Name plate & photography के लिए₹1200 रखा गया था, जबकि इस मद में संवेदक द्वारा दिये गये बिल में ₹1800 की राशि शामिल की गई। साथ ही योजना अभिलेख में Name plate & photography के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। उपर्युक्त योजना में बिना गुणवत्ता परीक्षण किये पूर्ण भुगतान किया गया।

जबाव में बताया गया कि विभिन्न विन्दुओं की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

अतः लेखापरीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों की जांच कर जांच प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाय। तब तक भुगतान की गयी राशि ₹569152/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

ग. बिना मापीपुस्त प्राप्त किये संवेदक को भुगतान :₹2.18 लाख

योजना सं0 13/2013–14

योजना का नाम– वार्ड संख्या 3 में बिन्देश्वरी यादव के घर से शिव यादव के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।

प्राक्कलित राशि– रू 250000/–

कार्यादेश की तिथि – 29/06/13

कार्य पूर्ण होने की तिथि – 28.09.13

कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि – अनुपलब्ध

संवेदक को दी गई राशि – प्रथम अग्रिम –₹50,000/– (चेक न0 बीबी 065787 दि.28.08.13)

अंतिम भुगतान की राशि –₹167858 (चेक न0 ए 720003 दि. 01.07.14)

कुल भुगतान : ₹217858/–

लेखा परीक्षा आपत्तिः–

(1) संचिका के साथ मापी पुस्त अनुपलब्ध थी जिसे लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) कार्यालय टिप्पणी में प्रथम अग्रिम की राशि ₹100000 हेतु संवेदक द्वारा दिये गये आवेदन के विरूद्ध आदेश की तिथि दि0 28.11.13 अंकित थी जबकि अग्रिम के लिए चेक की तिथि दि0 28.08.13 अंकित था।

(3) योजना में संवंदेक को नेम प्लेट एवं फोटोग्राफी के लिए ₹2500 का भुगतान किया गया था, परन्तु योजना संचिका में नेम प्लेट एवं फोटोग्राफी के साक्ष्य उपलब्ध नही थे।

जबाव में बताया गया कि विभिन्न विन्दुओं की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

अतः लेखापरीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों की जांच कर जांच प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाय। तब तक भुगतान की गयी राशि ₹217858/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

घ. कार्य पूर्ण होने की तिथि संदिग्ध, संवेदक को भुगतान : ₹2.18 लाख

योजना सं0 09एफ 2/2013–14

योजना का नाम– वार्ड संख्या 9 में खेनारी ठाकुर के घर से लक्ष्मण पटेल के घर तक पक्का नाला निर्माण

प्राक्कलित राशि–₹250000/–